



मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश

पंचम तल, पिकप भवन विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010.

दूरभाष : 0522-2306082. फ़ैक्स : 0522-2306126, 2306085. ई-मेल : igprisons-up@nic.in

परिपत्र संख्या ५५

/मा० अनु०(७)/

2015

दिनांक : 18-12-2015

प्रेषक,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

समस्त अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषय:-

प्रदेश की जेलों में कैंसर जैसी गम्भीर बीमारी से ग्रसित विचाराधीन बंदियों को न्यायालय से चिकित्सीय आधार पर जमानत स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-105रा०मा०/22-3-15-400 (5)/2015, दिनांक 24 नवम्बर, 2015 के साथ संलग्न मा० राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पत्र संख्या-4364/30/9/2013/जेसीडी, दिनांक 15.09.2015 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये कहना है कि विभिन्न कारागारों में निरुद्ध विचाराधीन बंदियों की कैंसर एवं अन्य गम्भीर बीमारी से जेल अभिरक्षा में होने वाली मृत्यु की दृष्टिगत मा० न्यायालयों में चिकित्सीय आधार पर जमानत स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निम्न दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं:-

"The grant or refusal of bail lies in court. The Commission however directs both the prison Authorities and to the Escorting police Authorities to dutifully inform the court as to the terminal illness of an undertrial prisoner so that the Court could consider such cases for grant of bail on midical grounds. The observetions to this effect be communicated to all the Chief Secretaries of the States/Union Territories for necessary action."

अतः मा० राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली के उक्त सन्दर्भित पत्र में निहित दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(देवेन्द्र सिंह चौहान)

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।